

मै0 अमित अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा ग्राम-दयूरी, तहसील व जनपद-चम्पावत में लधिया नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 7.37 है0) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 09.12.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 अमित अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा ग्राम-दयूरी, तहसील व जनपद-चम्पावत में लधिया नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 7.37 है0) की पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) तथा टाइम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) में दि0 06.11.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियाँ जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत, जिला पंचायत कार्यालय चम्पावत, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चम्पावत, नगर पालिक परिषद चम्पावत तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में अपरजिलाधिकारी चम्पावत की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम-दयूरी के पास लोकसुनवाई आयोजित कि गयी। लोकसुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम हरीश चन्द्र जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपरजिलाधिकारी चम्पावत श्री हेमंत वर्मा तथा अन्य उपस्थित अधिकारीगणो/कर्मचारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर-जिलाधिकारी चम्पावत की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स काग्नीजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री अखिल कुमार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि इस परियोजना से स्थानीय लोगो को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खनन कार्य ओपन कास्ट मैनुअल विधि से किया जायेगा। तथा प्रस्तावित खनन परियोजना में समावित पर्यावरणीय पहलुओं का मुल्यांकन किया गया है। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण,भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये है। विश्लेषण आख्यायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप है। खनन परियोजना की स्थापना प्रक्रिया के फल स्वरूप सामान्य जन जीवन पर अधिप्रभाव पडना स्वभाविक है। औद्योगिकरण में प्रगति के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामान्य जनउपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता, शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं रहन सहन के स्तर में समानुपाती परिवर्तन होना स्वभाविक है। खनन की गहराई खनन के दिशा-निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी, यह भूजल को स्पर्श नहीं करेगा। मजदूरों को मूलभूत सुविधायें जैसे खाना पकाने के लिए जलौनी लकडी, मजदूरों के बच्चों के लिए पुस्तकें और मुफ्त स्कूल की सुविधा तथा खुले में शौच से बचने के लिए मोबाईल शौचालय की व्यवस्था का प्राविधान खनन परियोजना

अग्र

अग्र

में प्रस्तावित किया गया है। कॉपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी सी0ई0आर0 के अन्तर्गत ग्रामसभा द्यूरी में सोलर लाईटों की स्थापना का कार्य तथा निकटवर्ती विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला हेतु बजट का आवंटन किया गया है। स्थानीय आबादी को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। खनन गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आस-पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। खनन कार्य MoEf & CC की अनुपालन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। सामुदायिक प्रभाव फायदेमंद होंगे, क्योंकि परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त रेता बजरी, बोलडर खनन/चुगान परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री बालम सिंह ग्राम-द्यूरी, तहसील व जनपद-चम्पावत- श्री बालम सिंह द्वारा कहा गया की परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बहुत सारे बिन्दुओं के बारे में अवगत कराया गया है, जैसे पानी का छिड़काव, वृक्षा रोपण के लिये पेड़ इत्यादि लेकिन प्रस्तावक द्वारा धरातल में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। नदी में पूर्व से खनन कार्य हो रहा है किन्तु स्थानीय केशर मालिको एवं पट्टाधारकों द्वारा नियमानुसार कार्य नहीं किया जाता है। भविष्य में ई0आई0ए0 रिपोर्ट में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार खनन कार्य किया जाना उचित होगा।
2. श्री पंकज जोशी पूर्व प्रधान ग्राम-द्यूरी, तहसील व जनपद-चम्पावत- श्री पंकज जोशी द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा की ग्रामसभ नौलापानी में पूर्व से भू-स्खलन हुआ है। जिसकी शिकायत समय-समय पर उच्च अधिकारियों को की जाती है, लेकिन वर्तमान तक उचित कार्यवाही नहीं हुई है। भू-स्खलन से एकत्रित हुये मलवे को चैनलाईज किया जाना चाहिये। जिससे आस-पास के भवनों को खतरा न हो।
3. श्री महेन्द्र सिंह ग्राम-नौलापानी, तहसील व जनपद-चम्पावत- श्री महेन्द्र सिंह द्वारा कहा गया कि हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
4. श्री प्रवेश सिंह बोरा ग्राम-नौलापानी, तहसील व जनपद-चम्पावत- प्रवेश सिंह बोरा द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की गयी।
5. श्री अमर सिंह ग्राम-द्यूरी, तहसील व जनपद-चम्पावत- श्री अमर सिंह द्वारा कहा गया की मानको के अनुसार खनन कार्य करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
6. श्री सुन्दर सिंह बोरा ग्राम-नौलापानी, तहसील व जनपद-चम्पावत- श्री सुन्दर सिंह बोरा द्वारा कहा गया की पूर्व में भू-स्खलन से एकत्रित मलवे को चैनलाईज किया जाना चाहिये। जिससे आस-पास के भवन स्वामियों को खतरा उत्पन्न न हो। खनन कार्य वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिये।

Ag


Neel


7. श्री अमित अग्रवाल परियोजना प्रस्तावक- श्री अग्रवाल द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि गांव वालो के सहयोग से तथा उनकी जो भी जरूरतें होगी उनको पूरा करते हुये खनन कार्य किया जायेगा। खनन के साथ-साथ समय-समय पर क्षेत्र के विकास हेतु भी सहयोग किया जायेगा। क्षेत्र के आस-पास गांव वालो की सहमति के अनुसार वृक्षारोपण का कार्य भी किया जायेगा।

तदपश्चात अपरजिलाधिकारी चम्पावत द्वारा कहा गया कि नदी से होने वाले भू-कटाव की रोकथाम हेतु चैनलाईज किया जाना चाहिये। तदक्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ०प्र०नि०बोर्ड द्वारा पुनः लोगो से सुझाव व मौखिक/लिखित में देने को कहा गया। अंत में अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

संलग्नक-यथोपरि।

  
(हरीश चन्द्र जोशी)  
सहा०वैज्ञा०अधिकारी  
उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी।

  
(हेमंत वर्मा)  
अपरजिलाधिकारी  
जिला-चम्पावत

श्री अमित अग्रवाल, पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा खसरा नं. 1300, 1301, 1302 ग्राम- दूधरी तहसील व जिला- चम्पावर में लघिया नदी पर. रेत, बजरी, बोल्टर खनन परियोजना (क्षे. - 7.34 ई.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण:-

सुनवाई स्थल- निकट परियोजना स्थल,  
समय एवं तिथि- 9/12/2024 प्रातः 11:00 बजे.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	हेमन्त वर्मा	अपरजिलाधिकारी, चम्पावर	
2.	हरिश चन्द्र जोशी	सहा. वेंता. अधिकारी (ए. प्रबन्धि बोर्ड, छव्ही)	
3.	अमित कुमार	पर्यावरण सलाहकार	
4.	चन्द्रवल्दम जोशी	अनु. सद्य. (ए. प्रबन्धि बोर्ड, छव्ही)	
5.	चित्रा जोशी	जिला स्वीन अधिकारी, चम्पावर	
6.	डॉ. हरीश बिष्ट	सहायक भू-वैज्ञानिक	
7.	जयदीप देउपा	जिला कारागार, चम्पावर	
8.	मितल सिंह बोहरा	बेलखेत दियुरी	
9.	Suryya Anandhu Bhutt	Partner	
10.	AMIT AGRAWAL	Owner	
11.	सुन्दर सिंह बोहरा	नि. 0 सै. 000 ए. 0 दियुरी	
12.	बालम सिंह बोहरा	नि. 0 ग्राम प्रधान दियुरी	
13.	अमर सिंह	दियुरी	
14.	शंका दा लाल	ग्र. पुठ नौलापानी	
15.	खल्लि बिरा	नौलापानी	
16.	काशवान सिंह	नौलापानी	
17.	गिरीश चन्द अह	नौलापानी	
18.	भगवान राम	डांडा ककनई	
19.	महेन्द्र सिंह	कांडा रोस	
20.	बाबू देउपा	दण्डा	
21.			

**जन सुनवाई**

**खनन परियोजना - मै० अमित अग्रवाल**

ग्राम - दियूरी-३ तहसील व जिला - चम्पावत  
 रेता, बजरी, बोल्डर चुगान (लधिया नदी) (क्षेत्रफल- 7.37 है०)  
 सुनवाई स्थल - निकट परियोजना स्थल  
**समय व तिथि - प्रातः 11 बजे दिनांक 9 दिसम्बर 2024**

प्राप्त स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।  
 आयोजक - क्षेत्रीय कार्यालय

**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139  
 प्रस्तावक - श्री अमित अग्रवाल, पर्यावरण सलाहकार - मै० कॉन्ग्रेस रिसर्च इण्डिया प्रा० लि०

